

पत्रांक 1262 /

प्रबला खेस,
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
धनबाद।

सेवा में,

प्राचार्य,
कार्मेल स्कूल,
धनबाद।

धनबाद, दिनांक 15/6/22

विषय :- फीस वसूली के विरुद्ध प्राप्त परिवाद के संबंध में।
प्रसंग :- कार्यालय पत्रांक-1254 दिनांक 27.05.2022
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा मदवार वसूली गयी शुल्क की राशि का स्थिति स्पष्ट करने एवं आई0सी0एस0ई0 द्वारा निर्धारित मानदंड की प्रति उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा विभागीय आदेश की अवहेलना कर अपने पत्रांक-CSD/LT/15/22 दिनांक 01.06.2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने हेतु उन्नत आधारभूत संरचना, वर्गकक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शिक्षकों के सेमिनार, छात्रों का सेमिनार/करियर कौंसलिंग/को-कैरीकूलर एक्टीवीटी के लिए Education Exention Fee का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये शुल्क विवरणी में अंकित है प्रत्येक वर्ष 4000/- (चार हजार) रुपये Maintenance Fee, 3600/- (तीन हजार छः सौ) रुपये Technology Fee के साथ-साथ अन्य कई प्रकार का शुल्क छात्र-छात्राओं से वसूली जाती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त Education Exention Fee लेने का कोई औचित्य नहीं है। इस हेतु यदि आई0सी0एस0ई0 बोर्ड द्वारा कोई मानदंड निर्धारित है तो उसकी प्रति के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय अथवा वसूली गई Education Exention Fee का सामंजन Tuition Fee में कर उसकी सूचना साक्ष्य के साथ एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि उच्चाधिकारी को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सकें। अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध झारखण्ड सरकार द्वारा निजी विद्यालयों हेतु निर्धारित नियम-परिनियम के अनुसार कार्रवाई हेतु अनुशंसा करना अधोहस्ताक्षरी की बाध्यता होगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी।

विश्वासभाजन,

(प्रबला खेस)

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
धनबाद।

15/6/2022

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद

मिश्रित भवन भू-तल (ग्राउंड फ्लोर) धनबाद-826001, फोन-2310378, फैक्स-0326-2310378

E-mail Id-dhanbad.rmsa@gmail.com

पत्रांक.....1254...

प्रेषक :-

प्रबला खेस,
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
धनबाद।

सेवा में,

प्राचार्य,
कार्मेल स्कूल
धनबाद।

धनबाद, दिनांक.....27/5/2022

विषय :- निजी विद्यालयों द्वारा मनमाने फीस की वसूली के संबंध में।
प्रसंग :- क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के पत्रांक 504, दिनांक 20.05.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक श्री कुमार मधुरेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष, झारखण्ड अभिभावक महासंघ का परिवार-पत्र की प्रति क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के पत्रांक 504, दिनांक 20.05.2022 द्वारा प्राप्त हुआ है। श्री सिंह ने अपने अपने परिवार-पत्र के साथ आपके विद्यालय द्वारा माह अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 तक ली गई शुल्क पर्ची संलग्न की है, जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

शुल्क पर्ची में अंकित मासिक शुल्क के अतिरिक्त Education Extension Fee एवं मदवार वसूली गई राशि के संबंध में स्थिति स्पष्ट करें। Education Extension Fee लेने का क्या औचित्य है? इस प्रकार की राशि की वसूली संबंधी सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 का दिशा-निर्देश की प्रति उपलब्ध करायें।

उपर्युक्त के संबंध में दिनांक 01.06.2022 तक अपना स्पष्टीकरण साक्ष्य के साथ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विलंब अवांछनीय है, जिसकी सारी जबाबदेही आपकी होगी।

विश्वासभाजन

30/

(प्रबला खेस)
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
धनबाद।

ज्ञापक.....1254.....धनबाद, दिनांक.....27/5/2022

प्रतिलिपि :-

प्रतिलिपि :-

श्री कुमार मधुरेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष, झारखण्ड अभिभावक महासंघ को सूचनार्थ प्रेषित।
क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को भवदीय पत्रांक 504, दिनांक 20.05.2022 के आलोक में सादर सूचनार्थ समर्पित।

(प्रबला खेस)
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
धनबाद।



deo_dnb0001.p...



कार्यालय:- क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग

फोन संख्या- 06546-228202, e-mail- rdde.hzb@rediffmail.com, rddehzb2020@gmail.com

पत्रांक 766 /

प्रेषक,

पुष्पा कुजूर,
क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक,
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग।

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
धनबाद।

हजारीबाग, दिनांक 9-07-2022

विषय :- निजी विद्यालयों द्वारा मनमाने फीस को वसूली के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषयक कुमार मधुरेन्द्र सिंह, अभिभावक, उपाध्यक्ष, झारखण्ड अभिभावक महासंघ, धनबाद द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के ईमेल पर अपनी पुत्री के फीस के संबंध में परिवाद पत्र उपलब्ध कराया गया है, जो आपको सीधे आपको सम्बोधित है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि संबंधित मामले का एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार जांच करते हुए कृत कार्रवाई प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(पुष्पा कुजूर)

क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक,

उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग

08-7-22

08-07-22

Sumit. 2022 (279)

माननीय DEO महोदया

धनबाद।

विषय -6000/- रूपए एजुकेशनल एक्सटेंशन फीस के संबंध में -

महोदया

सविनय पूर्वक ज्ञात हो कि आप एक लेटर मेरे आर डी डी महोदया के यहां कप्लेन पर प्रतिलिपि दी है। पर आज तक यह साफ नहीं हुआ है कि एजुकेशनल एक्सटेंशन फीस 6000/- नहीं लिया जाएगा क्योंकि मैंने अप्रैल माह के सिलप में से छः हजार रूपए कम जमा किया और nov. माह तक सभी फीस जमा कर दिया आनलाइन ट्रांसफर कर 31780/- पर स्कूल प्रबंधन ने कमाल का कार्य किया मुझे लेटर इश्यू किया और फोन कर बताया और अपने ऐप में दिसंबर से मार्च माह 23 तक के बकाया में लेट फाइन के साथ जोड़कर दिखला दिया कि आपका बकाया 16840/- रह गया, जब कि फीस दिसम्बर 22 से मार्च 23 तक बकाया मासिक फीस 10640/- बनता है और वो लेने के अधिकारी भी हैं तो फिर 16840/- रूपए किस तरह से दिखाई जा रही है।

अतः श्रीमान महोदया कटिबद्ध आग्रह है कि संबंधित विषय पर स्कूल प्रबंधन से वार्ता कर मुझे एजुकेशनल एक्सटेंशन फीस 6000/- रूपए ना देने से राहत दिलाने का मार्ग प्रशस्त करें और एक लेटर जारी किया जाए आपके यहां से या फिर स्कूल प्रबंधन से कि मात्र मेरे पुत्री का बकाया भुगतान 10640/- ही है, जिससे कि मैं दिसंबर 22 से मार्च 23 के बीच कभी भी बिना कोई बाधा उत्पन्न हुए 10640 जमा कर सकूँ।

आज अभी का सभी ऐप का समय के साथ फोटो साक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है।

भवदीय

कुमार मधुरेन्द्र सिंह

अभिभावक

कार्मल स्कूल धनबाद।

9:14 PM

57%



CP-CARMDH

here: <https://carmeldhn.radicallogix.com/radcarmeldhn/Realtime/msgs/27919/jOCfufUK> received from School - Carmel Dhanbad

8-8 1:22 PM

Dear Parent, Check out new circular here: <https://carmeldhn.radicallogix.com/radcarmeldhn/Realtime/msgs/52785/CPueJiW8> received from School - Carmel Dhanbad

3/54 PM

.Dear Parent, MAHI TOMAR @ Fees Due :Educational Extension (Old) (6,000.00, Apr'22) . Total : 6000 Kindly submit before [15-08-2022](#)- Carmel Dhanbad



Text message

2022.08.10 21:14



10:05 AM

95%



CP-CARMDH

here: <https://carmeldhn.radicallogix.com/radcarmeldhn/Realtimercs/viewsms/27919/jOCfufUK> received from School - Carmel Dhanbad

8-8 1:22 PM

Dear Parent, Check out new circular here: <https://carmeldhn.radicallogix.com/radcarmeldhn/Realtimercs/viewsms/52785/CPueJiW8> received from School - Carmel Dhanbad

8-10 3:54 PM

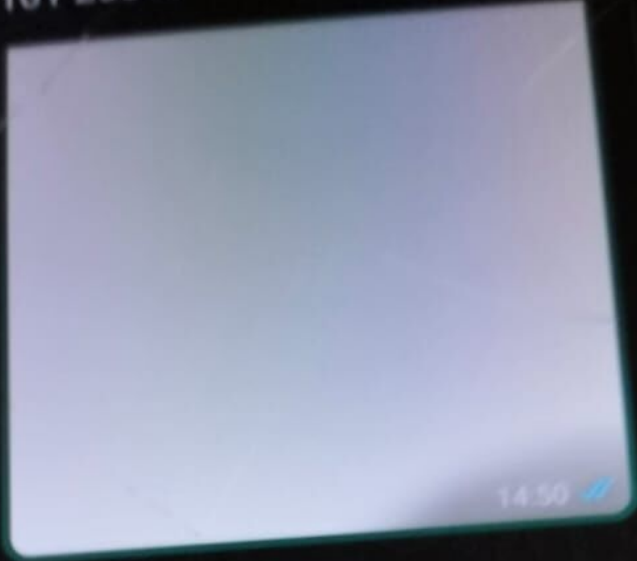
Dear Parent, MAHI TOMAR @ Fees Due :Educational Extension (Old) (6,000.00, Apr'22) . Total : 6000 Kindly submit before [15-08-2022](#)- Carmel Dhanbad



Text message



2022.08.11 10:05

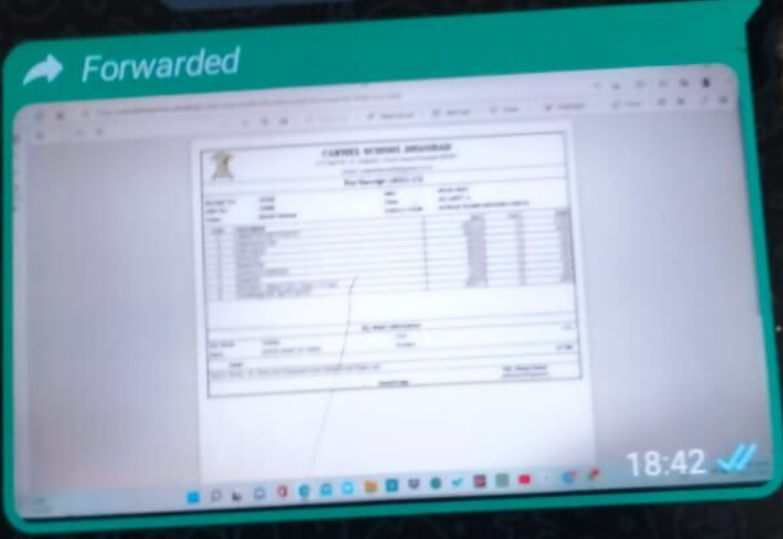


Ok 15:06

Bring your fee book on Monday 15:06

Okay Miss 15:18 ✓✓

July 4, 2022



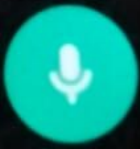
Ok 19:02

July 5, 2022

You have to pay education extension fee 14:31



Message





Letter No. 766/09.07.2022

निजी विद्यालयों द्वारा मनमाना फिस
की वसूली के संबंध में

Inbox



Regional Joint Dire... 12:55

to dhanbad.rmsa, me, rd... ▾



Kindly find the attachment.

Regional Joint Director of Education Office
North Chhotanagpur Division
Hazaribagh
Phone-06546-228202



deo_dnb0001.pdf



Regional Joint Dire... 13:04

to me ▾





Letter No. 766/09.07.2022

निजी विद्यालयों द्वारा मनमाना फिस
की वसूली के संबंध में

Inbox



Regional Joint Dire... 12:55

to dhanbad.rmsa, me, rd... ▾



Kindly find the attachment.

Regional Joint Director of Education Office
North Chhotanagpur Division
Hazaribagh
Phone-06546-228202



deo_dnb0001.pdf



Regional Joint Dire... 13:04

to me ▾





deo_dnb0001.p...



कार्यालय:- क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग

फोन संख्या- 06546-228202, e-mail- rdde.hzb@rediffmail.com, rddehzb2020@gmail.com

पत्रांक 766 /

प्रेषक,

पुष्पा कुजूर,
क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक,
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग।

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
धनबाद।

हजारीबाग, दिनांक 9-07-2022

विषय :- निजी विद्यालयों द्वारा मनमाने फीस को वसूली के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषयक कुमार मधुरेन्द्र सिंह, अभिभावक, उपाध्यक्ष, झारखण्ड अभिभावक महासंघ, धनबाद द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के ईमेल पर अपनी पुत्री के फीस के संबंध में परिवाद पत्र उपलब्ध कराया गया है, जो आपको सीधे आपको सम्बोधित है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि संबंधित मामले का एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार जांच करते हुए कृत कार्रवाई प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(पुष्पा कुजूर)

क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक,

उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग

08-7-22

08-07-22

Sumit. 2022 (279)

माननीय DEO महोदया

धनबाद।

विषय -6000/- रूपए एजुकेशनल एक्सटेंशन फीस के संबंध में -

महोदया

सविनय पूर्वक ज्ञात हो कि आप एक लेटर मेरे आर डी डी महोदया के यहां कप्लेन पर प्रतिलिपि दी है। पर आज तक यह साफ नहीं हुआ है कि एजुकेशनल एक्सटेंशन फीस 6000/- नहीं लिया जाएगा क्योंकि मैंने अप्रैल माह के सिलप में से छः हजार रूपए कम जमा किया और nov. माह तक सभी फीस जमा कर दिया आनलाइन ट्रांसफर कर 31780/- पर स्कूल प्रबंधन ने कमाल का कार्य किया मुझे लेटर इश्यू किया और फोन कर बताया और अपने ऐप में दिसंबर से मार्च माह 23 तक के बकाया में लेट फाइन के साथ जोड़कर दिखला दिया कि आपका बकाया 16840/- रह गया, जब कि फीस दिसम्बर 22 से मार्च 23 तक बकाया मासिक फीस 10640/- बनता है और वो लेने के अधिकारी भी हैं तो फिर 16840/- रूपए किस तरह से दिखाई जा रही है।

अतः श्रीमान महोदया कटिबद्ध आग्रह है कि संबंधित विषय पर स्कूल प्रबंधन से वार्ता कर मुझे एजुकेशनल एक्सटेंशन फीस 6000/- रूपए ना देने से राहत दिलाने का मार्ग प्रशस्त करें और एक लेटर जारी किया जाए आपके यहां से या फिर स्कूल प्रबंधन से कि मात्र मेरे पुत्री का बकाया भुगतान 10640/- ही है, जिससे कि मैं दिसंबर 22 से मार्च 23 के बीच कभी भी बिना कोई बाधा उत्पन्न हुए 10640 जमा कर सकूँ।

आज अभी का सभी ऐप का समय के साथ फोटो साक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है।

भवदीय

कुमार मधुरेन्द्र सिंह

अभिभावक

कार्मल स्कूल धनबाद।

माननीय DEO महोदया
धनबाद।

विषय -6000/- रूपए एजुकेशनल एक्सटेंशन फीस के संबंध में -

महोदया

सविनय पूर्वक ज्ञात हो कि आप एक लेटर मेरे आर डी डी महोदया के यहां कंप्लेन पर प्रतिलिपि दी है। पर आज तक यह साफ नहीं हुआ है कि एजुकेशनल एक्सटेंशन फीस 6000/- नहीं लिया जाएगा क्योंकि मैंने अप्रैल माह के सिलप में से छः हजार रूपए कम जमा किया और nov. माह तक सभी फीस जमा कर दिया आनलाईन ट्रांसफर कर 31780/- पर स्कूल प्रबंधन ने कमाल का कार्य किया मुझे लेटर इश्यू किया और फोन कर बताया और अपने ऐप में दिसंबर से मार्च माह 23 तक के बकाया में लेट फाईन के साथ जोड़कर दिखला दिया कि आपका बकाया 16840/- रह गया, जब कि फीस दिसम्बर 22 से मार्च 23 तक बकाया मासिक फीस 10640/- बनता है और वो लेने के अधिकारी भी हैं तो फिर 16840/- रूपए किस तरह से दिखाई जा रही है।

अतः श्रीमान महोदया कटिबद्ध आग्रह है कि संबंधित विषय पर स्कूल प्रबंधन से वार्ता कर मुझे एजुकेशनल एक्सटेंशन फीस 6000/- रूपए ना देने से राहत दिलाने का मार्ग प्रशस्त करें और एक लेटर जारी किया जाए आपके यहां से या फिर स्कूल प्रबंधन से कि मात्र मेरे पुत्री का बकाया भुगतान 10640/- ही है, जिससे कि मैं दिसंबर 22 से मार्च 23 के बीच कभी भी बिना कोई बाधा उत्पन्न हुए 10640/- कर सकूँ।

आज अभी का सभी ऐप का समय के साथ फोटो साक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है।

भवदीय

कुमार मधुरेंद्र सिंह

अभिभावक

कार्मल स्कूल धनबाद।

9431120093/7004625305.

Copy to -

1. माननीय आरडीडी महोदया हजारीबाग, शिक्षा विभाग।

2 / 6



		CARMEL SCHOOL D P.O. Box No. 23, Opposite Circuit House Email: carmel@schoolindia.org																					
Fee Receipt (2022-23)		Date : 10/05/23 Class : Father's Name :																					
Receipt No. : 10340 Adm No. : 12005 Name : MAHI TOMAR		Pay Mode : Chalan Bank : STATE BANK OF INDIA Date : Number :																					
Total : Total in Words : Rs. Thirty One Thousand Seven Hundred And Eighty only		Parent Copy																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>S.No.</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tuition Fee (Apr'22-May'22)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Maintenance Fee</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SMS System</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Exam Fee</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Special Fee</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Activity & Celebration</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Magazine</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Fee Book + Report Card + Diary + ID Card</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Technology Fee (Apr'22-May'22)</td> </tr> </tbody> </table>				S.No.	Description	1.	Tuition Fee (Apr'22-May'22)	2.	Maintenance Fee	3.	SMS System	4.	Exam Fee	5.	Special Fee	6.	Activity & Celebration	7.	Magazine	8.	Fee Book + Report Card + Diary + ID Card	9.	Technology Fee (Apr'22-May'22)
S.No.	Description																						
1.	Tuition Fee (Apr'22-May'22)																						
2.	Maintenance Fee																						
3.	SMS System																						
4.	Exam Fee																						
5.	Special Fee																						
6.	Activity & Celebration																						
7.	Magazine																						
8.	Fee Book + Report Card + Diary + ID Card																						
9.	Technology Fee (Apr'22-May'22)																						



CARMEL SCHOOL DHANBAD
P.O. Box No. 23, Opposite Circuit House Dhahabad-826001
Email: carmelchdhanb@yahoo.co.in

Fee Receipt (2022-23)

Receipt No. : 10340
Adm No. : 12005
Name : MAHI TOMAR
Date : 09-05-2022
Class : XII ARTS -A
Father's Name : KUMAR MADHURENDRA SINGH

S.No.	Description	Due	Cash	Paid
1.	Tuition Fee (Apr'22-May'22)	7650 X 8	0	21280
2.	Maintenance Fee	4000.00	0	4000
3.	SMS System	400.00	0	800
4.	Exam Fee	800.00	0	600
5.	Special Fee	600.00	0	500
6.	Activity & Celebration	600.00	0	100
7.	Magazine	100.00	0	400
8.	Fee Book + Report Card + Diary + ID Card	400.00	0	
9.	Technology Fee (Apr'22-Apr'23)	3500 X 1	0	3500

Pay Mode Information

Pay Mode : Challan
Bank : STATE BANK OF INDIA
Data :
Number :
* N.A.

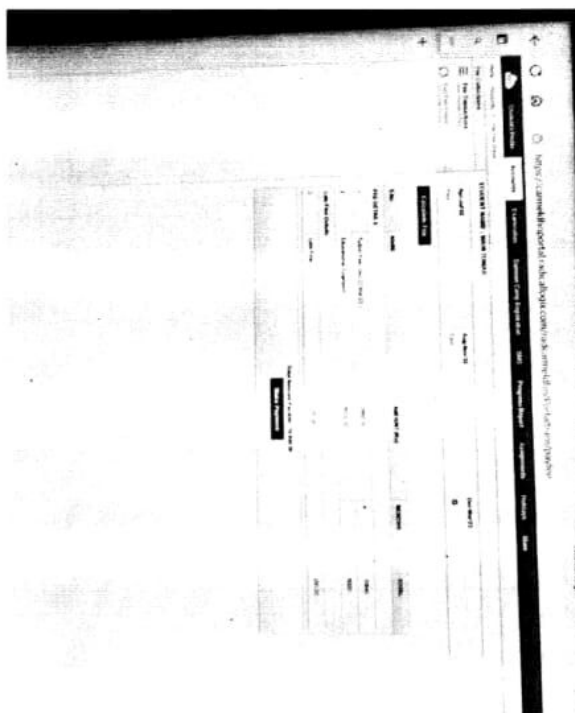
Total :

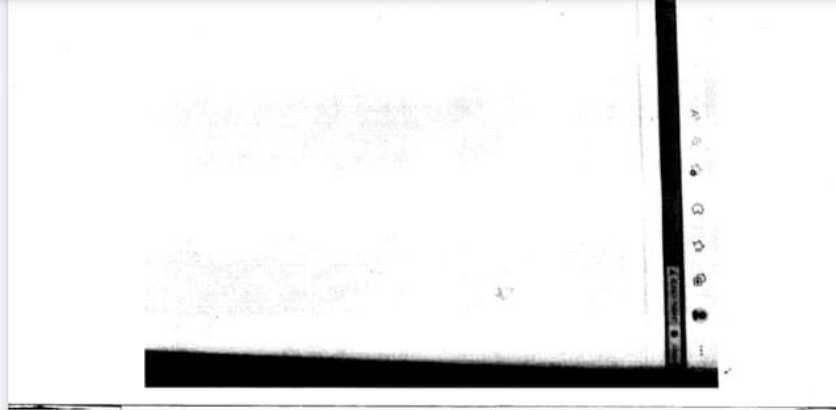
31780

Total In Words : Rs Thirty One Thousand Seven Hundred And Eighty only

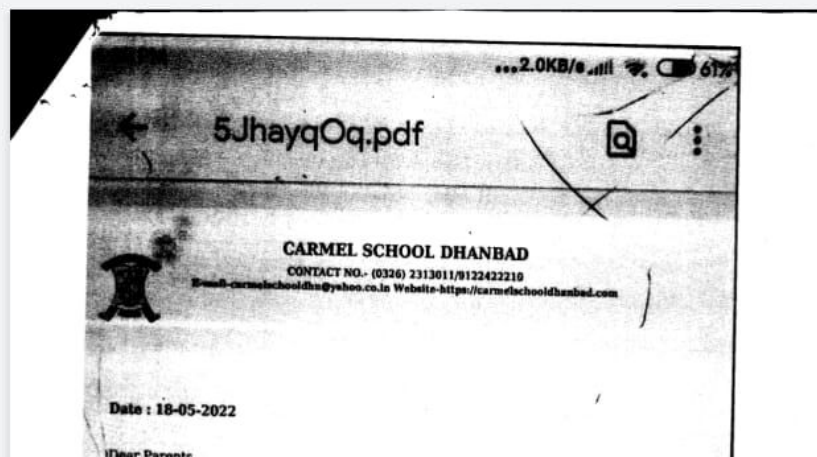
Parent Copy

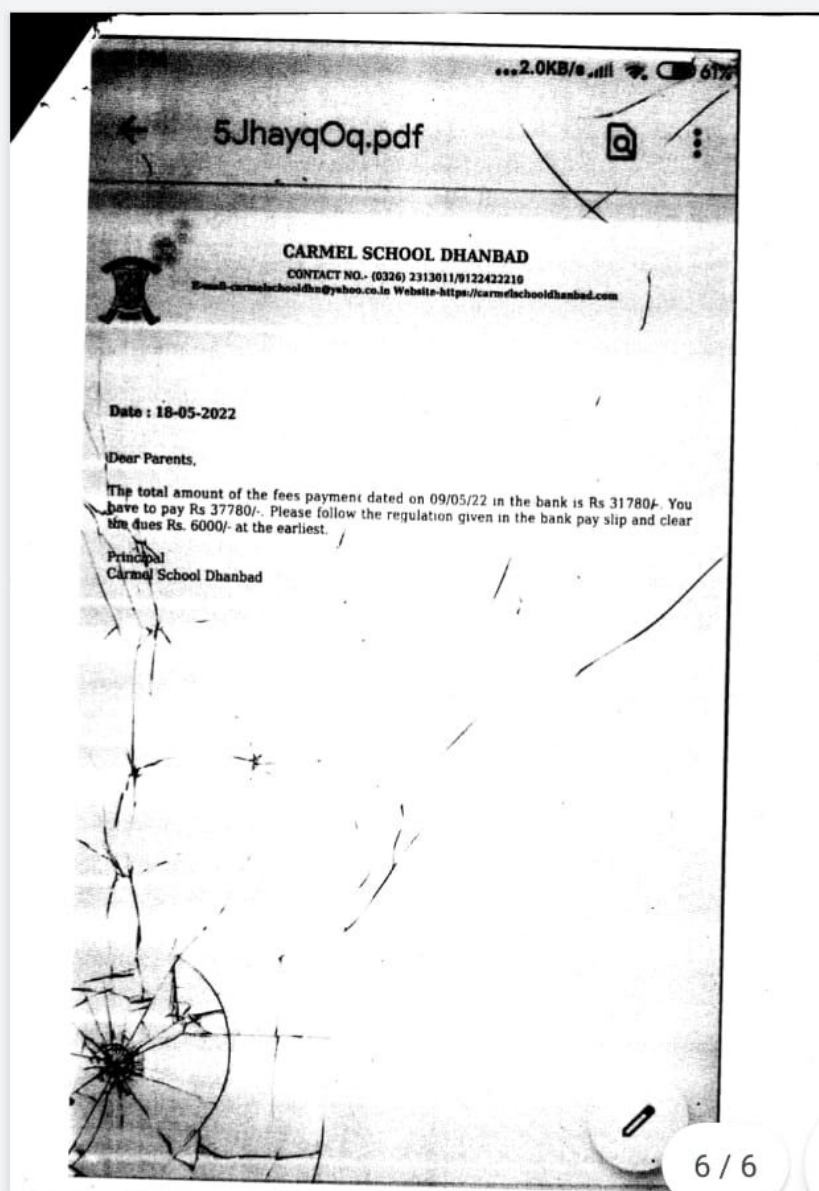
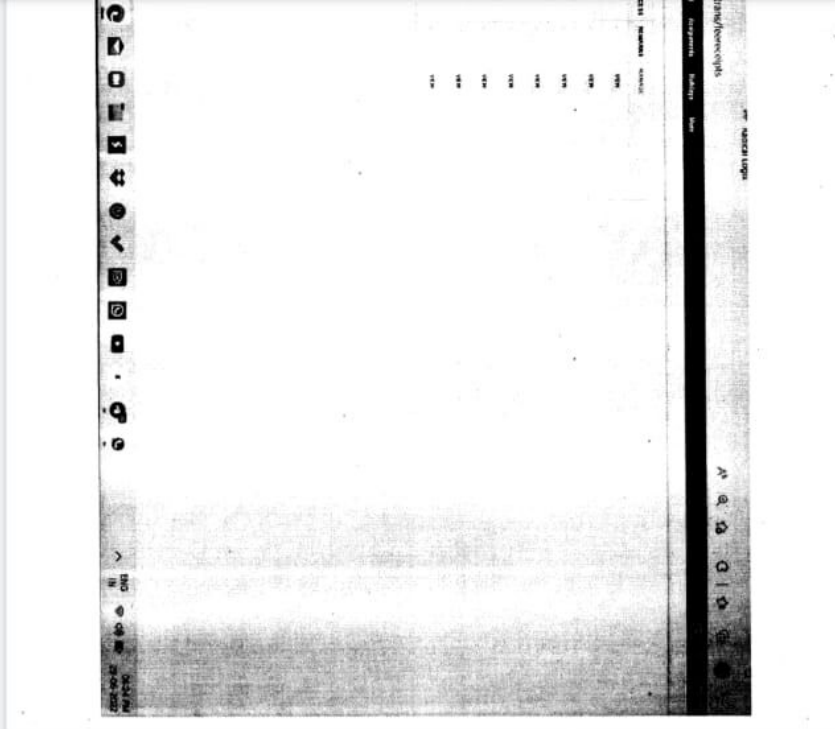
Mrs. Reena Sreen
Authorized Signatory





S.No	Name	Roll No	Date	Time	Marks	Remarks
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...





झारखण्ड सरकार
कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद
मिश्रित भवन भू-तल (ग्राउंड फ्लोर) धनबाद-826001
E-mail Id - dhanbad.rmsa@gmail.com

पत्रांक /

प्रेषक,

प्रबला खेस,
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
धनबाद।

सेवा में,

प्राचार्य,
कार्मेल स्कूल, धनबाद।

धनबाद, दिनांक

विषय :- फीस वसूली के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के संबंध में।

प्रसंग :- कार्यालय पत्रांक-1362 दिनांक 15.06.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के अनुपालन में आपके पत्रांक-CSD/LT/16/22 दिनांक 28.06.2022 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि "Mr. Madhumendra Singh parent of Carmel School has not paid any fees under the heading of Education Extension in Year 2020-21, 2021-22, 2022-23, still the school is kind enough to accommodate his daughter and has given all the facilities concerning academics and seeing to the all round development required for the child's growth."

उपरोक्त लिखित प्रतिवेदन के बावजूद भी आपके द्वारा माही तोमर, वर्ग-द्वादश (कला संकाय) से लगातार वाट्सअप संदेश एवं अन्य माध्यमों से Education Extension Fee की मांग आपके द्वारा की जा रही है। साक्ष्य के साथ श्री मधुरेन्द्र कुमार द्वारा इस आशय की शिकायत अधोहस्ताक्षरी से की गयी है, जबकि प्रसंगाधीन पत्र द्वारा Education Extension Fee के संदर्भ में आपको स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि "सी0आई0एस0सी0ई0 बोर्ड द्वारा कोई मानदण्ड निर्धारित है तो उसकी प्रति के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय अथावा वसूली गई Education Extension Fee का सामंजस्य कर उसकी सूचना साक्ष्य के साथ एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।", परन्तु उपरोक्त निदेश का अनुपालन आपके द्वारा नहीं किया गया। यह श्री मधुरेन्द्र कुमार के शिकायत पत्र से स्पष्ट है कि छात्राओं से Education Extension Fee की मांग की जा रही है। इस हेतु सीधे छात्राओं से वर्ग शिक्षक संवाद कर एवं वाट्सअप के माध्यम से भी लगातार Education Extension Fee जमा करने हेतु दबाव बनाया जाता है, जिससे छात्रा स्वयं को अपमानित एवं प्रताड़ित महसूस करती है। उदाहरण स्वरूप विद्यालय के पोर्टल पर माही तोमर का Education Extension Fee-Rs.6000/- माह दिसम्बर, 2022 से मार्च, 2023 तक का शुल्क Rs.10640/- एवं 200/-रु0 विलम्ब शुल्क परदर्शित है।

उपरोक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि कार्यालय पत्रांक-1254 दिनांक 27.05.2022 एवं 1362 दिनांक 15.06.2022 द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश का संपूर्ण अनुपालन करते हुए 15.07.2022 तक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में आदेश की अवहेलना के आरोप में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार एवं सी0आई0एस0सी0ई0 बोर्ड को नियमानुसार आपके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा की जायेगी।

विश्वासभाजन,

६०—

(प्रबला खेस)
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
धनबाद।

ज्ञापक :- 1591 / धनबाद दिनांक 12/7/2022

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- श्री मधुरेन्द्र कुमार, अभिभावक, कार्मेल स्कूल, धनबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रबला खेस)
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
धनबाद।

12/7/2022